तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हु... की तामील में जारी
21/5/25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 122 ख. नं. 350, 405, 406, 407, 408, 409, 410 कुल किता 7 कुल रकबा 3.35 है0 वाके ग्राम बहलड़ी तहसील नगरफोर्ट में दर्ज सभी सहखातेदारो का नाम प्रार्थना पत्र में प्रार्थी खातेदारो के रूप में अंकन नहीं है और साथ ही प्रार्थीगण ने जिन व्यक्तियों का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा है या जिनसे सीमा विवाद है, उनको अप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया है। अतः सभी सहखातेदारो को प्रार्थी पक्षकार नहीं बनाये जाने व जिनका विवादित आराजी पर कब्जा है, उनको अप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 128 के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	